

पत्रांक-7/स्था0-04-01/2026सा0प्र0...../

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार तिवारी,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,  
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एल.एल.एम. डिग्री के आधार पर तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-4634 दिनांक 17.01.2026 एवं पत्रांक-14426 दिनांक 17.02.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2140 दिनांक 28.02.2024 सहपठित ज्ञापांक-6039 दिनांक 05.06.2024 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/पदस्थापन	बिहार न्यायिक सेवा में योगदान की तिथि	एलएल.एम. उर्तीणता की तिथि	वेतन वृद्धि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर, पटना।	12.10.2007	23.09.2025	23.09.2025

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुनील कुमार तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-01/2026सा0प्र0.....4082...../पटना-15, दिनांक 27/02/26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर, पटना तथा आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Sunil*  
26/02/26  
सरकार के अवर सचिव।